

FIEM INDUSTRIES LIMITED

Unit-VII: Plot No. 1915, Rai Industrial Estate, Phase-V, Sonepat-131029 Haryana (INDIA)

Tel.: +91-130-2367905/906/907/908/909/910 Fax: +91-130-2369703

E-mail: fiemunit7@fiemindustries.com

August 22, 2019

(Through Listing Centre)

The Manager,
Dept. of Corporate Services
B S E Limited
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400 001

Dear Sir.

Sub: Copy of Advance Notice of 31st AGM, published in Newspapers.

Ref: SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

(Listing Regulations).

Pursuant to Regulation 47 and 30(6) of Listing Regulations read with Para A of Part A of Schedule III, please find enclosed the copy of Notice to shareholders published in Newspapers [Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)] on 22/08/2020 as Advance Notice of 31st AGM of the Company to be held on 21st September, 2020.

This is for your information and records please.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Fiem Industries Limited

Arvind K. Chauhan Company Secretary

Encl: A/a

PUBLIC ADVERTISEMENT 31ST ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

JANSATTA (HINDI) 22.08.2020



फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी-अ, डीएसआईडीसी पैकेजिंग कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली--110015 (भारत) -25927820, 25927919, 唯年日: +91-11-25927740, फोन : +91-11 ई-मेल : investor@fiemindustries.com

वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1989PLC034928

31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (पूर्व सूचना)

- एतदद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा संबी (सुधीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेकाएँ) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्वालर नंबर 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 05 मई, 2020 ('एनसीए सर्कुलर्से') और भारतीय प्रतिभृति एवं विभिन्नय शेर्ड द्वारा जारी सर्कलर नंबर सेवी / एवओ / तीएफडी / तीएमडी। / तीआईआर / पी / 2020 / १६ विनाकित 12 मई, 2020 ('तेवी सर्कुलर') के अनुपालन में, **फीयम इंडस्ट्रीज** लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित की जाएगी।
- एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सूबना तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विवरण शामिल है (वार्षिक रिपोर्ट), केवल ई–मेल द्वारा उन सभी सवस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ('डीपी') के पास पंजीबद्ध है। सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डॉलने की विधि हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के लिए की जाएगी। 31थी एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.fiemindustries.com</u> बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। आगे, उन श्रेयरबारकों, जो मीतिक रूप में शेयरों के धारक हैं अथवा जिनके द्वारा अपना ई—मेल पता कम्पनी / आरटीए अथवा डीपी के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है. उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट्स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना डाउनलोंड करें तथा उसमें एजीएम से जुड़ने और भाग लेने तथा रिमोट ई—बोटिंग ववा एजीएम के दौरान इं--वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि के संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करें।
- ई—मेल पता, बैंक विवरण तथा मोबाइल नंबर और लामांश प्राप्त करने हेतु बैंक आदेश पंजीकरण / अद्यतनीकरण की विधि :

जिन शेयरधारको द्वारा अपना ई–मेल पता एवं मोबाइल नंबर कम्पनी / आरटीए / डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है तथा / अथवा लामांश राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के मध्यम से सीचे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने हेतु बैंक खाता आदेश अध्यक्ति नहीं करवाया गया है, उनसे उपरोक्त विवस्ण अतिशीध निम्नलिखित विधि में पंजीकृत / अधितित करवाने का अनुरोध किया जाता है :

- डीपी के पास विवरण पंजीकरण / अग्रत-विकरण : यदि शेयर डीमेट रूप में झारित है. ऐसे शेयरधारकों को दहतापूर्व सलाह दी जाती है कि ये अपना ई—मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाला विवरण अपने डीमेंट खाते में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार फंजीकृत /अदारित करवा लें।
- आरटीए के पास विवरण पंजीकरण / अध्यतनीकरण : यदि शेयर मीतिक रूप में धारित हैं. शेयरधारक को हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेयसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html पर जाना होगा और फिर कम्पनियों की सूत्री से **फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** सिलेक्ट करना होगा तथा उसमें मांगा गया विवरण भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड और संबंभिट करने होंगे। यद्यपि, डीमैंट रूप में शेयरों के धारक शेयरधारक अपना विवरण आरटीए के पास पंजीकृत/अद्यतित करवा सकते हैं, तथापि, ऐसे शेयरधारक के लिए अपना विवरण केवल डीपी के पास पंजीकृत / अद्यतित करवाना बेहतर होगा।

यदि कन्पनी किसी सदस्य को लाभाश का भुगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से करने में असमर्थ रहती हैं. तो कम्पनी ऐसे सदस्य को लाभाश वारट/बैंक्स चैंक/डिमॉड ड्राफ्ट, यथासनय शीध, अनुमत्य विधियों से प्रेषित करेगी।

- रिमोट ई--वोटिंग अथवा एजीएम में ई--वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :
 - सदस्यों को एजीएम की सुबना में सुबीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के माध्यम से डालने का अवसर पदान किया जाएगा ।
 - आनीतिक रूप, नौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोटली बोटिंग ('रिमोट ई-बोटिंग') की दिधि एजीएम की सुचना में दी जाएगी।
 - (iii) ई—वोटिंग सिस्टम से वोट डालमें की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित जिन सदस्य द्वारा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, वे वीली/ओएवीएम के मध्यम से आयोजित एजीएम के दौरान वोट डाल सकेंगे।
 - (iv) सदस्यों को ई-वोटिंग सिस्टम से वोट खालने के लिए लींगइन प्रव्ययम्ब ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए आएंगे। सदस्यगण, जिनको ई-मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा उनका ई—मेल पता कम्पनी/आरटीए/ हिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है. वे एजीएम की सूचना में दिए अनदेशों का पालन कर लॉगइन प्रत्ययपत्र बना सकते हैं।
 - (V) शेयरबारकों के वोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इविवटी शेयर पूंजी में कट—ऑफ तिथि अर्बात 14 सितम्बर, 2020 को उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- लामांश पर टीढीएस : 5.

विल अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, 01 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से शेयरधारक के हाथों में लाभांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी द्वारा सदस्यों को देय लागांश से आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी ऐक्ट) में निधरित दरों पर स्रोत पर कर कटौती की जानी ("टीडीएस") अपेक्षित है (यदि उस सदस्य के लिए लागू है)। अत सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी निवास रिखति, पैन, आईटी ऐक्ट के अनुसार संवर्ग का विवरण अपने ढिपॉजिटरी पार्टिसिपैट के पास अथवा शेयर मौतिक रूप में धारित हैं, तो आरटीए के पास पूर्ण तथा/अववा अधतित करवा लें। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के अधीन लागू प्रपन्न 15जी/15एव/10एफ तथा अन्य लागू दस्तावेज जमा करने के लिए, सवस्यगण हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html देखें।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में माग लेने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान वोट डालने की विधि संबंधी अनुदेश सावधानी के साथ पढ़ लें।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Bedi. / अरविन्द के. चौहान कम्पनी सचिव

श्रीमाती चन्दर का

व्यवस्था राशित (जा. में)-

- 1. मेलर्स कुनेर स्वा श्री संजीव कुमार 3. श्रीयती सुषया सी निवेशक मैसले कुनेर 4. बॉमारी कान्स देव श्रीमती कान्य तो
- भी प्राथेश लाल । यकाना राशि (स. में)-

शासा कार्यासय : (सार अधिकृत प्राधिकारी, श्री

विक्रम निर्धारित निविद

- शह जीलामी प्रतिभागि विस्तिशिवत सम्पति 15.09.2020 THE
- ई-मोलामी हेतु ई-न् नम्बर 079-41072 हिल्लांक्ट्रेजन-प्रतिकाय
- 4. इं-नीलामी के इस्कू



ना सकता है। किस भाग लेने की अनुम

- 7. संविदाकार एक या (इंएमडी राशि के व
- विक्रय सुधना, ई-
- इं-नोलामी प्रक्रिया 10. अधिकत प्राधिका
- साथ पंजीकत) 11. प्रतिभूत आस्ति अ
- 12. सफल संविद्यकार आरटीजीपय/पन्छे के भीतर राशियों सम्पत्ति पर कोई र
- 13. संविद्याकारों के वि (अ) सम्पत्ति की विक्र
- (स) सैंक के पूर्ण संज प्रभाषित करने स ain it facil u प्रकार से किसी ।
- (स) बैंक बिक्री हेत प्र आसाम समिति । प्राधिकारी की का
- (द) संविद्याकारों को र विधिक चकापी
- (य) संविद्यकारों को
- (र) विक्री सूचना/निर्वि
- (स) विक्री की सूचना

तिथि : 22 अगस्त, 2020

स्थान : राई, हरियाणा

PUBLIC ADVERTISEMENT 31ST ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

THE FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH) 22.08.2020



FIEM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 0-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015 (INDIA)

Tel.: +91-11-25927919 / 7820, Fax: +91-11-25927740, E-mail: investor@fiemindustries.com

Website: www.fiemindustries.com, CIN: L36999DL1989PLC034928

31ST ANNUAL GENERAL MEETING (Advance Notice)

- NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 31" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries
 Limited ("the Company") will be held on Monday, September 21, 2020 at 10:00 a.m. through Video Conference
 ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act,
 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read
 with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively,
 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated
 May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the
 Members at a common venue.
- 2. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2020 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and casting of votes through remote electronic voting or through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 31" AGM will be available on the website of the Company at www.fiermindustries.com on the website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.bseindia.com and NSE at www.bseindia.com and NSE at www.bseindia.com are requested to download the AGM. Notice, once available on above mentioned websites and follow detailed instructions mentioned therein about joining & participating in AGM, manner of casting vote through remote e-voting or casting vote through e-voting system during the AGM.
- Manner of registering / updating email addresses & mobile No. and Bank mandate for receiving Dividend:
 The shareholders, who have not registered their email address & mobile number with the Company/RTA/Depositories
 and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic
 Clearing Service (ECS), are requested to register / update the above details immediately, in the following manner:
 - (i) Registering / updating the details with DP: in case the Shares held in demat mode, it is strongly recommended to such shareholder to register / update the email address, mobile no. and bank account details in his / her demat account as per process advised by the DP.
 - (ii) Registering / updating the details with RTA: In case the shares held in physical mode, the shareholder need to visit to website of our RTA, Link Intime India Private Ltd. at the link https://linkintime.co.in/EmailReg/Email. Register.html and then select Fiem Industries Limited from dropdown list of Companies and fill in the details asked therein, and upload the required documents and submit. Though, shareholders holding shares in Demat mode can register / update his/her details to RTA, however, it is better for such shareholder to register / update these details with their DP only.

In the event, Company is unable to pay the dividend to any member through electronic mode, due to incomplete Bank account details of the member, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Member, at the earliest possible through permissible modes.

- 4. Manner of casting vote(s) through remote e-voting or through e-voting during the AGM:
 - (i) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").
 - (ii) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM.
 (iii) The facility for voting through e-voting system will also be made available during AGM and Members attending the
 - (iii) The facility for voting through e-voting system will also be made available during AGM and Members attending the AGM, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote during the AGM to be held through VC/OAVM.
 - (iv) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / RTA/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM.
 - (v) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 14, 2020.
- 5. TDS on Dividend:

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend payable to the Members (if applicable for that member) as per Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). Therefore, Members are requested to complete/update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case shares are held in physical form, with RTA. Further, to submit the applicable Form 15G/15H/10F under the IT Act and other applicable documents, members can visit the website of our RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. at the link https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For Fiem Industries Limited Sd/-Arvind K. Chauhan Company Secretary

Date: 22.08.2020 Place: Rai, Haryana